संख्याः- 10 /2018/688/अडतीस-7-2018-134नरेगा/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषयः- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना"।

महोदय,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत "मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना" के क्रियान्वयन के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. यह वृक्षारोपण सड़क/नहर किनारे, सार्वजनिक परिसरों यथा-शवदाह गृह, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय विद्यालय, छात्रावास, ग्राम समाज भूमि आदि पर तथा शासकीय सार्वजनिक भवनों की बाउण्ड्री पर और सामुदायिक/शासकीय भूमि पर किया जा सकेगा।
2. वृक्षारोपण के संबंध में निम्न तकनीकी आवश्यकता अनिवार्य एवं बंधनकारी होगी:-

क्र0 सं0	वृक्षारोपण का प्रकार	पौधों के बीच अन्तराल	पौधों की संख्या प्रति परियोजना	रोपित की जाने वाली प्रजाति के उदाहरण	सुरक्षा के उपाय
1.	सड़क किनारे	06 मीटर	200 पौधे	आम, इमली, जामुन, नीम, सहजन, अर्जुन, पीपल, बरगद, शीशम, सागौन, कन्जी एवं सीरस आदि	बांस का ट्रीगार्ड/ ट्रीगार्ड नेट
2.	नहर किनारे	04 मीटर	400 पौधे	शीशम, आम, इमली, जामुन, नीम, सहजन, अर्जुन, यूकेलिप्टस, कन्जी आदि	बांस का ट्रीगार्ड/ ट्रीगार्ड नेट
3.	सामुदायिक स्थल पर ब्लॉक प्लान्टेशन	04 मीटर x 04 मीटर	625 पौधे प्रति हेक्टेयर	आम, जामुन, नीम, आंवला, नींबू, अमरूद, सहजन, पीपल, बांस, शीशम, कन्जी आदि	सुरक्षा खाई खुदान 1.20x0.90 x1.0 मीटर एवं उसके बंड पर प्रोसोपिस, बबूल/खेर के बीज बुआई।
4.	सार्वजनिक परिसर में अथवा परिसर के चारों तरफ (यथा खेल मैदान, आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों, छात्रावास परिसर, खेल मैदान, शवदाह गृह आदि)	04 मीटर	स्थल उपलब्धता के अनुसार (कुल 200 पौधों के लिये)	नीम, कन्जी, आँवला, पीपल, बरगद, आम, कदम एवं गुलमोहर बांस आदि।	बांस का ट्रीगार्ड/ ट्रीगार्ड नेट

3. वृक्षारोपण परियोजना की अवधि तथा मानक लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

विवरण	सड़क किनारे	सामुदायिक	सार्वजनिक परिसर	नहर किनारे
परियोजना अवधि	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष
पौधों का अंतराल	06 मी0	04 मीटर x 04 मीटर	04 मी0	04 मी0
पौधों की संख्या	200 पौध	625 पौध प्रति हेक्टेयर	200 पौध	400 पौध
परियोजना की मानक लागत	मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार	मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार	मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार	मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना की प्रति पौध लागत	मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार		मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार		मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार		मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार	
परियोजना की वर्षवार लागत	सामग्री	मानव दिवस	सामग्री	मानव दिवस	सामग्री	मानव दिवस	सामग्री	मानव दिवस
प्रथम वर्ष	गोबर की खाद (400किलो), कीटनाशक (400 मिली) रसायनिक उर्वरक (5 किलो), पौध का मूल्य (206 पौध) व दुलान, बांस, का ट्रीगार्ड/ट्रीगार्ड नेट, (200) क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन व अभिलेखीकरण	231	गोबर की खाद(1250 किलो), कीटनाशक,(1250 मिली) रसायनिक उर्वरक (15.625 किलो),पौध का मूल्य (644 पौध) व दुलान, सुरक्षा खायी हेतु कटीली प्रजातियों के बीज, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी जी0पी0एस0 लोकेशन व अभिलेखीकरणण	569	गोबर की खाद (400किलो), कीटनाशक (400 मिली) रसायनिक उर्वरक (5 किलो), पौध का मूल्य (206 पौध) व दुलान, बांस, का ट्रीगार्ड/ट्रीगार्ड नेट, (200) क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन व अभिलेखीकरण	225	गोबर की खाद,(800 किलो) कीटनाशक, (800 मिली) रसायनिक उर्वरक (10 किलो), पौध का मूल्य (412 पौध) व दुलान, बांस, का ट्रीगार्ड/ट्रीगार्ड नेट, (400) क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन एवं अभिलेखीकरण	406
द्वितीय वर्ष	पौध का मूल्य (21 पौध) व दुलान, कीटनाशक (400 मिली) रसायनिक उर्वरक (5 किलो), क्षतिग्रस्त बांस के ट्रीगांर्ड/ट्रीगार्ड नेट, (40) की बदलवायी, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	125	पौध का मूल्य (64 पौध) व दुलान, कीटनाशक, (1250 मिली) रसायनिक उर्वरक (15.625 किलो), क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	141	पौध का मूल्य (21 पौध) व दुलान, कीटनाशक, (400 मिली) रसायनिक उर्वरक (2 किलो), क्षतिग्रस्त बांस के ट्री गार्ड/ट्रीगार्ड नेट (40) की बदलवाई, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	125	पौध का मूल्य(41 पौध) व दुलान, कीटनाशक, (800 मिली), रसायनिक उर्वरक (10 किलो), क्षतिग्रस्त बांस के ट्री गार्ड/ट्रीगार्ड नेट (80) की बदलवाई, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	164
तृतीय वर्ष	कीटनाशक, (400 मिली) रसायनिक उर्वरक (5 किलो), क्षतिग्रस्त बांस के ट्रीगार्ड/ट्रीगार्ड नेट, (20) की बदलवायी, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	113	कीटनाशक, (1250 मिली) रसायनिक उर्वरक (15.625 किलो), क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	138	कीटनाशक, (400 मिली) रसायनिक उर्वरक (5 किलो), क्षतिग्रस्त बांस के ट्रीगार्ड/ट्रीगार्ड नेट, (20) की बदलवायी, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	113	कीटनाशक, (800 मिली) रसायनिक उर्वरक (10 किलो), क्षतिग्रस्त बांस के ट्रीगार्ड/ट्रीगार्ड नेट, (80) की बदलवायी, क्रियान्वयन एजेन्सी को वीडियोंग्राफी/ फोटोग्राफी, जी0पी0एस0 लोकेशन	139

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाये श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

(ii) सामुदायिक वृक्षारोपण (Block Plantation) के लिए उपलब्ध भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक हो तो प्रति हेक्टेयर को एक यूनिट मानकर परियोजना बनाई जाये। उदाहरण के लिये ग्राम सभा में 8 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होने की दशा में इसे 8 परियोजना माना जायेगा।

(iii) क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होने की दशा में सुरक्षा खाई एकमुश्त पूरे क्षेत्र में ली जाये।

4. इस परियोजना का Model Estimate वन विभाग द्वारा स्वीकृत है, अतः परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति वन विभाग द्वारा स्वीकृत Model Estimate के अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार प्रदान की जायेगी। Model Estimate मनरेगा एवं वन विभाग के प्रचलित शिड्यूल ऑफ रेट्स (SOR) के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें ग्राम्य विकास एवं वन विभाग द्वारा समयान्तर्गत आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए, ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत होंगे एवं ग्राम पंचायत से इतर, अन्य लाईन विभागों के कार्यदायी संस्था होने पर, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक को होगा। तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अंकन कार्यदायी संस्था द्वारा मनरेगा सॉफ्ट पर नियमानुसार किया जायेगा।

5. वृक्षारोपण परियोजना की कार्यदायी संस्था वन एवं वन्य जीव विभाग हो सकता है। कार्यदायी संस्था का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्यदायी संस्था, त्रिस्तरीय पंचायतें व लाईन विभाग हो सकते हैं। वन एवं वन्य जीव विभाग से इतर कार्यदायी संस्था होने पर, परियोजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

6. **भुगतान की व्यवस्था:-** परियोजना के अन्तर्गत समस्त भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप किये जायेगें एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. परियोजना अवधि पूर्ण होने पर रोपण संबंधित ग्राम सभा/संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 10/2018/688 (1)/अडतीस-7-2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रमरोजगार, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

डॉ0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।